न्यायालयः- अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-3, भरतपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :-श्रीमती रेखा वधवा, RJS (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या :- 17/2022

सी आई एस नंबर :- 151/2022

सी एन आर नंबर :- RJBH010045952022

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक

--- अभियोगी

ब ना म

1- जमशेद पुत्र आसू उर्फ आस मोहम्मद, निवासी हुसैनपुर, थाना नूंह, जिला नूंह मेवात (हरियाणा)

2- साजिद पुत्र दीन मोहम्मद, निवासी हिरमथला, पुलिस थाना रोजका मेव, तहसील व जिला नूंह मेवात(हरियाणा)

------**अभियुक्तगण**

अपराध अन्तर्गत धारा 353, 307/34 भारतीय दंड संहिता व 3/8, 5/8 व 10 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम, 1995

उपस्थितः-

1- श्री धर्मेन्द्र कुमार, अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

2- श्री मुकीम खां, अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से।

:- निर्णय -: **दिनांक- 06.05.2026**

01. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 13.02.2022 को श्री अरुण कुमार पुलिस निरीक्षक थाना सेवर ने एक लिखित रिपोर्ट थाना सेवर पर इस आशय की पेश की कि दिनांक 13.02.2022 को कंट्रोल रुम भरतपुर की सूचना के आधार पर मय जाप्ता मलाह पुलिया के पास पहुंचे। जहां पर सर्विस रोड मलाह गांव के मोड पर एक ट्रक नंबर एचआर 74 ए 6594 बायीं तरफ पेड़ से टकराया हुआ खडा मिला जिसका बायीं तरफ का अगला टायर फूटा हुआ था। उसके पास एक व्यक्ति गौ तस्कर घायल अवस्था में पड़ा मिला व पास में ही क्यूआरटी टीम मय जाप्ता मिली। जिन्होंने बताया कि उक्त ट्रक में गौवंश की सूचना मिलने पर नाकाबंदी की तो सारस चौराहे से पहले डिवाइडर कूदा कर रॉग साइड से आ कर सेवर की तरफ आने लगा। रोकने का प्रयास करने पर तस्करों

द्वारा क्यूआरटी टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई जिस पर आत्मरक्षा हेतु क्यूआरटी टीम के सदस्य ने एक लोंग रेंज व चार शॉर्ट रेंज फायर किया व उक्त ट्रक घना गेट के सामने राईट साइड में आ गया व मलाह पुलिया के पास सरकारी गाडी एवं क्यूआरटी टीम को जान लेने की नीयत से टक्कर मारने का प्रयास करने लगे तो ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया जिससे उसका अगला टायर फट गया। पेड़ से टकराने से एक गौतस्कर घायल होकर नीचे गिर गया व अन्य रात्रि में अंधेरा होने से भाग गए व तलाश करने पर भी नहीं मिले। मौके पर मिले घायल व्यक्ति ने अपना नाम जमशेद बताया। ट्रक के ऊपर चढकर चैक करने पर उसमें अंदर ठूंस ठूंस कर निर्दयता पूर्वक नर मादा गौवंश भरा मिला जिसमें कुछ खड़े हुए व कुछ के पैर व गर्दन रस्सी से बंधी होकर पड़े हुए हैं जिनकी मौके पर वीडियोग्राफी करायी...इत्यादि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सेवर पर एफआईआर संख्या 94/2022 अपराध धारा 353, 307 भा.दं.सं. एवं 3, 5, 8, 10 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण जमशेद के विरूद्ध दिनांक 20.08.2022 को अपराध अन्तर्गत धारा 353, 307/34 भारतीय दंड संहिता व 3/8, 5/8 व 10 राजस्थान गौवंशीय पशु(वध का प्रतिषेध निर्यात का विनियम) अधिनियम व मुलजिम साजिद के विरुद्व धारा 6/8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 में एवं मुलजिम सद्दाम के विरुद्व धारा 299 दण्ड प्रक्रिया संहिता में मफरुरी में आरोप पत्र न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भरतपुर में पेश किया गया। जहां पर उक्तानुसार अभियुक्तगण जमशेद व साजिद के विरुद्व उक्त आरोपों में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण को श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश भरतपुर को कमिट किया गया जो कालान्तर में अंतरित होकर दिनांक 23.09.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त हुआ।

02- न्यायालय द्वारा अभियुक्त जमशेद के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 353, 307 विकल्प में 307/34 भारतीय दंड संहिता व 3/8, 5/8 व 10 राजस्थान गौवंशीय पशु(वध का प्रतिषेध निर्यात का विनियम) अधिनियम व अभियुक्त साजिद के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 6/8 राजस्थान गौवंशीय

पशु(वध का प्रतिषेध निर्यात का विनियम) अधिनियम के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

03- अन्वीक्षा के दौरान अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्न गवाहान को परीक्षित कराया गयाः-

क्रम सं.	गवाह संख्या	नाम गवाह
1.	पी.डब्ल्यू.-1	विजय कुमार
2.	पी.डब्ल्यू.-2	अरुण
3.	पी.डब्ल्यू.-3	अमीर चंद
4.	पी.डब्ल्यू.-4	योगेश कुमार
5.	पी.डब्ल्यू.-5	राधा किशन
6.	पी.डब्ल्यू.-6	सुरेश
7	पी.डब्ल्यू.-7	आतेन्द्र सिंह
8.	पी.डब्ल्यू.-8	कुंवर सिंह
9.	पी.डब्ल्यू.-9	सुंदर सिंह
10.	पी.डब्ल्यू.-10	राजवीर
11.	पी.डब्ल्यू.-11	जितेन्द्र सिंह
12.	पी.डब्ल्यू-12	गजेन्द्र सिंह
13.	पी.डब्ल्यू.-13	दिलीप सिंह
14.	पी.डब्ल्यू.-14	बनवारी लाल
15.	पी.डब्ल्यू.15	डा.शैलेश कुमार गर्ग
16.	पी.डब्ल्यू.16	नारायण सिंह
17.	पी.डब्ल्यू.17	ओमवीर
18.	पी.डब्ल्यू.17	अब्दुल कयूम
19.	पी.डब्ल्यू.18	सुमरन सिंह
20.	पी.डब्ल्यू.19	डा.दिगम्बर सिंह

21.	पी.डब्ल्यू.20	रुप सिंह
22.	पी.डब्ल्यू.21	अजय सिंह
23.	पी.डब्ल्यू.22	ललित कुमार
24.	पी.डब्ल्यू.23	बाबू लाल
25.	पी.डब्ल्यू.24	दरब सिंह

04- अन्वीक्षा के दौरान अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात को प्रदर्शित कराया गयाः-

क्र सं.	प्रदर्श संख्या	दस्तावेज
1.	प्रदर्श पी-1	फर्द जब्ती ट्रक
2.	प्रदर्श पी-2	गौवंश प्राप्ति रसीद
3.	प्रदर्श पी-3	रोजनामचा का विवरण
4.	प्रदर्श पी-4	चाक एफआईआर
5.	प्रदर्श पी-5	आरोप पत्र
6.	प्रदर्श पी-6	नक्शा मौका
7	प्रदर्श पी-7	अस्थाई सुपुर्दगी जब्तशुदा गौवंश
8.	प्रदर्श पी-8	फर्द गिरफतारी साजिद
9.	प्रदर्श पी-09	फर्द जब्ती असल रजिस्ट्रेशन ट्रक
10.	प्रदर्श पी-10	हैल्थ इंजरी रिपोर्ट
11.	प्रदर्श पी-11 से 13	पोस्टमार्टम रिपोर्टस
12.	प्रदर्श पी-14	फर्द गिरफतारी जमशेद
13.	प्रदर्श पी-15	चोट प्रतिवेदन जमशेद
14.	प्रदर्श पी-16	एक्सरे रिपोर्ट जमशेद
15.	प्रदर्श पी-17 से 26	एक्सरे प्लेट्स
16.	प्रदर्श पी-27 ए	नकल मालखाना रजिस्टर
17.	प्रदर्श पी-28	अभियुक्त साजिद को जारी नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट

18.	प्रदर्श पी-29	अभियुक्त साजिद के नाम ट्रक स्वामी द्वारा जारी मुख्तयारनामा
19.	प्रदर्श पी-30	एसपी कार्यालय का पत्र दि.11-03-22 मय पुलिस मुलाजमानों के नियुक्ति आदेश की प्रतियां
20.	प्रदर्श पी-31	एसपी कार्यालय का पत्र दि.25-02-22 मय पुलिस मुलाजमानों के नियुक्ति आदेश की प्रतियां
21.	आर्टीकल-01	मूल आर.सी. ट्रक

05- अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया। अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया व स्वयं को झूठा फसाए जाने का कथन किया। अभियुक्तगण की ओर से कोई साक्ष्य सफाई पेश नहीं की गई।

06- बहस अन्तिम उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

1- "क्या अभियुक्त जमशेद ने दिनांक 13.02.2022 को समय करीब 12.50 एएम के लगभग सारस चौराहा, भरतपुर में क्यू आरटी टीम नं.4 के हैड कानि. गजेन्द्र सिंह, कानि. जितेन्द्र सिंह, बनवारी, ओमवीर सिंह, राजवीर व जीप चालक दिलीप जो लोक सेवक की हैसियत से नाकाबंदी कर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए उन पर हमला व आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

2- "क्या अभियुक्त जमशेद ने सह-अभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में उक्त लोक सेवकों को जान से मारने की नीयत से अवैध कटटा से एक राउंड हवाई फायर कर पुलिस पार्टी की हत्या के प्रयत्न का अपराध किया ?

3- "क्या अभियुक्त जमशेद ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर एक ट्रक सं. एचआर 74-ए-6594 में ठूंस ठूंस कर निर्दयतापूर्वक कुल 29 गौवंश भरे जिनमें से तीन मादा गौवंश मृत पाए गए। इस प्रकार क्या अभियुक्त ने गोवंशीय पशु के वध का अपराध किया ?

4- "क्या अभियुक्त जमशेद कुल 08 नर, 18 मादा व 03 मृतक मादा गौवंश कुल 29 गौ वंश को गौकशी के लिए हरियाणा ले जाकर वध किया जाना संभाव्य जानते हुए राज्य के बाहर निर्यात करने के आशय से ले जा रहा था जिसका उसके पास कोई परमिट नहीं था ?

5- "क्या अभियुक्त जमशेद ने उक्त गौवंश को ट्रक में ठूंस-ठूंस कर भरकर उनके साशय गंभीर उपहति कारित की।

6- "क्या दिनांक 13.02.2022 को समय करीब 12.50 एएम के लगभग सारस चौराहा, भरतपुर में अभियुक्त साजिद द्वारा यह जानते हुए कि उसके वाहन संख्या-एचआर 74-ए-6594 में 08 नर, 18 मादा व 03 मृतक मादा गौवंश कुल 29 गौवंश का गौकसी के लिए परिवहन किया जा रहा है का वाहन के परिवाहक होते हुए उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का अपराध कारित किया।

7- यदि हां तो अभियुक्तगण को किस दण्ड से दण्डित किया जाना चाहिए ?

07- विद्वान अपर लोक अभियोजक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्व आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को कडी से कडी सजा से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

08- उक्त बहस के विरोध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क रहा है कि हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तगण के विरुद्व आरोपित अपराध के संबंध में कोई सम्पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। जब्ती आदि की कार्यवाही की कोई विडियोग्राफी पेश नहीं कराई है। किसी भी अभियुक्त से कोई फायर आर्म्स अथवा खोखे आदि की जब्ती की नहीं की गई है केवल शंका के आधार पर समस्त कार्यवाही की गई है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

09- उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। अवधारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की विवेचना निम्न प्रकार हैंः-

10- गवाह पी.ड.2 अरुण प्रकरण का रिपोर्ट कर्ता रहा है जिसने अपने बयानों में यह बताया है कि दिनांक 13.02.2022 को वह थानाधिकारी पुलिस थाना सेवर के पद पर कार्यरत था। उस दिन 12.50 एएम पर रात्रि में ड्यूटी

के दौरान हेड कॉन्स्टेबल अजय कुमार ने बताया था कि कंट्रोल ने सूचना दी है कि सारस की तरफ से सेवर मलाह की ओर एक ट्रक जो गौवंश से भरा हुआ है जिसका पीछा क्यूआरटी टीम नम्बर 4 कर रही है, जिस पर हेड कॉन्स्टेबल मलाह पुर की तरफ पहुँचा तो बताया कि एक ट्रक मलाह गांव के मोड पर पेड से टकराया हुआ और एक व्यक्ति घायल अवस्था में पडा हुआ है और क्यूआरटी टीम न0 4 के प्रभारी गजेन्द्र हेड कॉन्स्टेबल भी उपस्थित है। इस पर उसके द्वारा टेलिफोन पर ही घायल को तुरन्त अस्पताल ले जाने के लिये निर्देशित किया व मौके पर स्वयं एस0एच0ओ0 मय जाप्ता मय प्राइवेट वाहन के मलाह की तरफ रवाना हो गये। करीब 1.45 ए0एम0 पर मौके पर पहुंचे तो क्यूआरटी टीम के प्रभारी गजेन्द्र मय जाप्ता के उपस्थित था जिन्होने बताया कि उक्त ट्रक ऊँचा नगंला की ओर से सारस की तरफ आ रहा है जिसमें गौवंश व गौ तस्कर थे जिनको क्यूआरटी द्वारा सारस पर नाकाबंदी कर रोकना चाहा तो ट्रक चालक व गौ तस्करों ने ट्रक को डिवाइडर से कूदाकर क्यूआरटी टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करते हुए घना तक रोंग साइड में भागे जिनका पीछा क्यूआरटी टीम करते हुए आत्मरक्षार्थ कॉन्स्टेबल जीतेन्द्र द्वारा एक लोंग रेंज सेल्फ व चार शार्ट रेंज सेल्फ फायर किये घना की तरफ से ट्रक अपनी साइड में आ गया और ट्रक अनियंत्रित होकर पेड से टकरा गया जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया जिसका नाम जमशेद था व एक गौतस्कर भाग निकला, जिसका नाम सद्दाम बताया था। मौके पर पेड से टकराया हुआ ट्रक जिसके नम्बर एचआर 74 ए 6594 था जो पेड से टकराकर खडा हुआ था। उसके ऊपर चढकर मय जाप्ता चैक किया तो इसमें गौ वंश नर मादा ठूस-ठूस कर गर्दन पैर बंधे हुये थे। जिन्हें निर्दयतापूर्वक ठूस-ठूस कर भरना व परिवहन करना गौ वंश अधिनियम व भारतीय दण्ड संहिता के तहत दंडनीय अपराध होने से मौके की कार्यवाही करते हुए गौवंश के भरे ट्रक को जरिये फर्द जप्ती प्रदर्श पी-1 के जप्त किया गया। उक्त ट्रक में भरे गौ वंशों को गिना तो 29 गौ वंश थे जिनमें से कुछ मृत प्रतीत हो रहे थे उक्त गौ वंशों का पोस्टमार्टम व मेडिकल कराने हेतु पशु चिकित्सक से सम्पर्क करने पर चिकित्सक ने सुबह जल्दी कराने के लिए कहा ऐसी सूरत में गौ वंश को उसी ट्रक में धीरे-धीरे गौशाला गढीसावल दास लेकर पहुंचे जहां पर पशु चिकित्सक श्री शैलेष गर्ग उपस्थित आये जिन्होने ट्रक में भरे प्रत्येक गौ वंश का मेडिकल मुआयना करते हुए

उसमें 08 नर 18 मादा व 03 मृतक मादा पायी जिनका पोस्टमार्टम व चोटों का मेडीकल किया गया उक्त गौ वंश को गढी सांवलदास को सुपुर्द किया जिसकी रसीद प्रदर्श पी-2 शामिल पत्रावली की गई। ट्रक से गौवंश को खाली करने के उपरान्त थाना लेकर आये गौ तस्कर जमेशद आरबीएम अस्पताल में जैर इलाज रहा। प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान दरबसिंह ए.एस.आई. के जिम्मे किया गया। जिसके द्वारा नक्शा मौका प्रदर्श पी-6 बनाया गया। जिसकी वापसी रपट प्रदर्श पी-3, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी-4 है। जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रकरण का अनुसंधान दरबसिंह ने पूर्ण करते हुए बाद अनुसंधान अभियुक्त जमशेद, सद्दाम उर्फ सम्मी के विरूद्ध गौवंश अधिनियम 3,5,8,10, व 353,307,34 भा.दं.सं. का जुर्म प्रमाणित माना व ट्रक के स्वामित्व के मुखत्यारआम के आधार पर स्वामी साजिद के विरूद्ध धारा 6/8 गौ वंश अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाया गया। सद्दाम की गिरफ्तारी के प्रयास किये गये व गिरफ्तार न होने की स्थिति में स्थायी गिरफ्तारी वारंट न्यायालय से जारी कराया गया। उक्त आरोपित मुलजिमान के विरूद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र प्रदर्श पी-5 है। प्रतिपरीक्षण के दौरान गवाह ने इस तथ्य को स्वीकारा है कि जो ट्रक लावारिस हालत में मिला उसके टायर मय ट्यूब फटे हुये थे। गौवंश की गिनती उसके द्वारा नहीं की गई थी। गौवंश की उम्र कितनी होगी वह नहीं बता सकता। अनुसंधान अधिकारी द्वारा गायों का मेडिकल घटना वाले दिन नहीं कराया था। गवाह ने यह स्वीकारा है कि जब वे मौके पर पहुंचे तो ट्रक पेड से टकराया हुआ व टायर और ट्यूब खराब होने के कारण चलने की हालत में नहीं था। आगे का टायर फटे हुए थे। मुखबीर की सूचना उसे नहीं मिली थी। उक्त ट्रक में एक ही व्यक्ति मिला था जिसको हॉस्पीटल में भर्ती कराया था। अन्त में गवाह ने झूठा मुकदमा बनाने के लिए आवारा गौवंशों को गौशाला में जमा कराने व उसके द्वारा गलत एफआईआर दर्ज कराने के तथ्यों को नकारा है।

11- गवाह पी.ड.1 विजय कुमार, पी.ड.4 योगेश कुमार, पी.5 राधाकिशन भी प्रकरण के रिपोर्ट कर्ता पी.ड.2 अरुण कुमार के साथ जाप्ते में पहुंचे है जिन्होंने अरुण कुमार द्वारा दी गई साक्ष्य के अनुसार ही अपनी साक्ष्य मुख्य परीक्षण में दी है और मौके पर पहुंचने पर एक ट्रक एच.आर.74 ए 6594 के खड़ा मिलने जिसका आगे का बायी साइड़ का टायर फटा हुआ होना बताया है तथा क्यू.आर.टी. टीम संख्या-4 के प्रभारी गजेन्द्र सिंह द्वारा मुखबिर की

सूचना पर नाकाबंदी करने पर उक्त ट्रक के चालक द्वारा नाकाबंदी देखकर ट्रक को डिवाइडर से कूदा कर क्रॉस साइड से सेवर की तरफ जाने पर उसका पीछा करने की साक्ष्य दी है। गवाह ने आगे यह बताया है कि गौतस्करों ने जान से मारने की नीयत से क्यू.आर.टी. टीम पर फायरिंग की जिसके आत्मरक्षा में क्यू.आर.टी. टीम के कॉन्स्टेबल जीतेन्द्र द्वारा एक लॉग रेंज सेल व चार शॉर्ट रेंज सेल फायर किया और उक्त ट्रक घना गेट के सामने राइट साइड में आने व मलाह पुलिया के पास उक्त ट्रक के चालक द्वारा सरकारी क्यू.आर.टी. टीम की गाड़ी पर जानलेवा मारने का प्रयास करने पर ट्रक असंतुलित होकर डिवाइडर पर चढ़ जाने जिसका बायी तरफ का टायर आगे का फट जाने व अनियंत्रित होकर सिरस के पेड से जा टकराने से एक गौतस्कर का घायल होकर ट्रक से नीचे गिर जाने व चालक का अंधेरे का फायदा उठाकर भाग जाने का कथन किया है। घायल व्यक्ति द्वारा अपना नाम जमशेद होना बताया है। स्वयं व एसएचओ द्वारा चैक करने पर उक्त ट्रक में ठूँस-ठूँस कर नर व मादा गोवंश भरे होने व चिकित्साधिकारी द्वारा रात्रि को मेडिकल नहीं करने सुबह मेडिकल करने की कहना भी बताया है। आगे गवाह ने ट्रक व गौवंश को रात्रि को धीरे-धीरे लेकर गौशाला सॉवलदास गढी लेकर जाने व सुबह गौशाला में गौवंश को खाली करने पर आठ नर गौवंश व 18 मादा गौवंश व तीन मृत गौवंश कुल 29 गौवंश ठूँस-ठूँस कर भरे हुए होने का कथन किया है। सभी जिन्दा गौवंश को गौशाला में सुपुर्द कर रसीद प्राप्त करना व तीन मृत गौवंश का गौशाला वालों द्वारा ही खड्डा खोदकर गाड देना बताया है तत्पश्चात् रवाना होकर मय खाली ट्रक के वापस थाने आ जाना बताया है। प्रतिपरीक्षण में गवाहान ने इस तथ्य को स्वीकारा है कि उनके सामने कोई फायरिंग नहीं हुई थी। वाहन पर फायरिंग के निशान ही देखे। मौके पर फायरिंग के कोई कारतूस नहीं मिले। ट्रक का टायर फटा था किन्तु धीरे-धीरे लेकर गये थे।

12- गवाह पी.ड.3 अमीरचंद भी प्रकरण के परिवादी अरुण कुमार व अन्य जाब्ता के साथ मौके पर मौजूद रहा है जिसने मौके पर पहुंचने पर केन्ट्रा ट्रक का एक पेड से टकरा जाना व उस केन्ट्रा ट्रक का टायर पंचर्ड फटी हुई हालत में खड़ा मिलना जिसके पास में जमशेद चालक का घायल अवस्था में पड़े होने की साक्ष्य दी है। जिसको इलाज के लिये आरबीएम अस्पताल भेजना भी गवाह ने बताया है। ट्रक को चैक कराने पर उसमें 29 गौवंश मुँह

बंधे हुए ठूंस-ठूंस कर भरे हुए मिलने जिनमें आठ नर व 18 मादा व तीन मादा मृत गौवंश मिलने का कथन किया है। जिनकी विडियोग्राफी कराना व पोस्टमार्टम कराने हेतु पशु चिकित्सक को जरिये टेलिफोन पर निवेदन करने पर डॉक्टर द्वारा रात्रि का वक्त होने से मेडिकल मुआयना व पोस्टमार्टम करने से इंकार करना बताया है व रात्रि करीब 1.45 एएम पर ट्रक व गौवंश को मौके पर ही जब्त कर उक्त ट्रक में गौवंश को लाने व ले जाने का अपराध बनने से मौके पर ट्रक को जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी.1 के जब्त करना बताया है तथा घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.6 होने का भी कथन किया है। उक्त गवाह ने ट्रक व गौवंश को गढी सॉवलदास गौशाला ले जाना जहाँ पर गौवंश को गौशाला के कर्मचारियों द्वारा एक-एक करके बाहर निकालना और जीवित गौवंश का सुबह मेडिकल मुआयना व मृत गौवंश का पोस्टमार्टम कराने का कथन किया है। जब्तशुदा गौवंश नग 29 की अस्थाई सुपुर्दगी प्रदर्श पी.7 पर व अभियुक्त साजिद की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.8 पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर होना बताये हैं। प्रतिपरीक्षण के दौरान गवाह ने यह स्वीकारा है कि उक्त वाहन में गौवंश था इस बाबत् कोई भी वीडियोग्राफी पत्रावली में नहीं है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि क्यू.आर.टी.टीम के वाहन व उनके वाहन में कोई टक्कर नहीं मारी थी और ना ही कोई निशानात थे। ट्रक का ट्यूब व टायर फटा हुआ था। उक्त ट्रक चलने की हालत में नहीं था। अभियुक्तगण द्वारा उसके सामने कोई भी फायरिंग नहीं की थी। फर्द जब्ती प्रदर्श पी.1 थानाधिकारी की कलमी है जिस पर स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती पर समय का अंकन नहीं है। नक्शा मौका प्रदर्श पी.6 पर किसी स्वतंत्र व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है। गौवंश का मेडिकल दिनांक 13.02.2022 को हुआ था। उन्हें तो उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त मिला। वाहन में मौके पर उन्हें एक व्यक्ति ट्रक के बाहर सड़क के पास घायल अवस्था में मिला था। अन्य लोगों को उसने भागते हुए नहीं देखा। गौवंश को बॉधने बाबत् रस्सी उन्हें नहीं मिली। यह सही बताया है कि गौवंश को कोई यदि वाहन में ले जाता है तो बॉध कर ले जाता है।

13- गवाह पी.ड.6 सुरेश भी जासा में परिवादी अरुण कुमार के साथ मौजूद रहा है जो भी उनके साथ ही मौके पर पहुंचना बताता है। सर्विस मलाह गॉव के मोड पर ट्रक नम्बर एच.आर. 74 ए 6594 का एक पेड से टकराया हुआ खड़े होना जिसकी बायी तरफ का टायर फूटा हुआ होना व उसके पास एक

गोतस्कर घायल अवस्था में पडे हुए मिलना बताया है। घायल का नाम पूछने पर उसने अपना नाम जमशेद होना बताया है तथा पास में ही क्यू.आर.टी. टीम इंचार्ज गजेन्द्र सिंह मय जाप्ता का मौके मौजूद होने का कथन किया है। आगे गवाह ने थानाधिकारी द्वारा अजय सिंह को घायल गोतस्कर को इलाज हेतु तुंरत हॉस्पीटल लेकर जाने का निर्देश देना और क्यू.आर.टी. टीम द्वारा यह बताना कि जरिये मुखबिर सूचना मिलने पर उक्त ट्रक में गोवंश ऊँचा नगला की तरफ से भरतपुर की ओर आ रहा है जिसकी सारस चैराहे के पास नाकाबंदी की गई। उक्त ट्रक नाकाबंदी देखकर सारस चौराहे से पहले डिवाइडर कूदा कर क्रॉस साइड में सेवर की तरफ आने लगा जिसका पीछा कर रोकने का प्रयास किया तो उक्त ट्रक में सवार गोतस्करों ने क्यू.आर.टी. टीम पर फायर किया एवं टक्कर मारने का प्रयास किया। गवाह ने ट्रक को चैक करने पर उसमें गोवंश के मुँह बंधे हुए ठूँस-ठूँस कर भरे हुए मिलना तथा कुल 29 गोवंश जिसमें 08 नर व 18 मादा जीवित व 03 मृत मादा गोवंश मिलना बताया है। मौके पर वीडियोग्राफी कराना तथा गोवंश का मेडिकल व पी.एम.आर. कराने हेतु पशु चिकित्सक से जरिये टेलीफोन थानाधिकारी द्वारा निवेदन करने पर पशु चिकित्सक द्वारा रात्रि का समय होने से पी.एम.आर. करने से मना करने पर व रात्रि करीब 1.45 ए.एम. पर ट्रक व गोवंश की मौके पर ही जप्ती की कार्यवाही कर ट्रक मय गोवंश को गढी सॉवलदास गोशाला लेकर पहुंचना व गोवंश को गौशाला के कर्मचारियों की मदद से बाहर निकालना व जीवित गोवंश का सुबह मेडिकल मुआयना कराना बताया है। गवाह ने स्वयं के समक्ष फर्द जप्ती ट्रक प्रदर्श पी-1, घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-6 है व जप्तशुदा गोवंश नग 29 की अस्थाई सुपुर्दगी प्रदर्श पी-7 बनाने व उन पर अपने हस्ताक्षर होना बताये हैं और अभियुक्त साजिद की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-8 पर भी गवाह ने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान गवाह ने यह बताया है कि जब वह पहुँचा तब ट्रक पेड से टकराया हुआ खड़ा मिला था। उसने फायरिंग के निशान नहीं देखे। विडियोग्राफी मौके पर किसने की उसे ध्यान नहीं है। ट्रक को सारस चौराहे से सेवर की तरफ मुँह किये हुये खड़ी अवस्था में देखा था। गौवंश का रंग कैसा था यह वह पत्रावली में रेखकर बता सकता है। अन्त में गवाह ने झूठे बयान देने के तथ्य को नकारा है।

14- गवाह पी.ड.7 आतेन्द्र सिंह भी परिवादी अरुण कुमार मय जाप्ता के मौके पर पहुंचा है, जहॉ सर्विस रोड मलाह गॉव के मोड पर ट्रक नम्बर एच.आर. 74 ए 6594 एक पेड से टकराया हुआ जिसका बायी तरफ का टायर फूटा हुआ होना, उसके पास एक व्यक्ति गोतस्कर घायल अवस्था में पडा हुआ मिलने व घायल का नाम पूछने पर उसने अपना नाम जमशेद बताने का कथन किया है तथा थानाधिकारी द्वारा घायल गोतस्कर को इलाज हेतु तुंरत आर.बी.एम. हॉस्पीटल लेकर जाने का निर्देश देना बताया तथा वहीं पर क्यू.आर.टी. टीम द्वारा यह बताने की भी साक्ष्य दी है कि मुखबिर से सूचना मिली कि उक्त ट्रक में गोवंश ऊँचा नगला की तरफ से भरतपुर की ओर आ रहा है जिसकी सारस चौराहे के पास नाकाबंदी की गई। उक्त ट्रक नाकाबंदी देखकर सारस चौराहे से पहले डिवाइडर कूदा कर क्रॉस साइड में सेवर की तरफ आने लगा जिसका पीछा करने पर जान से मारने की नीयत से फायर किया तो क्यू.आर.टी. टीम द्वारा एक लॉंग रेंज सेल व चार शॉर्ट रेंज सेल चलाये। ट्रक को उन्होंने चैक किया तो उसमें गोवंश के मुँह बंधे हुए ठूँस-ठूँस कर भरे हुए मिले। कुल गोवंश 29 थे जिसमें 08 नर व 18 मादा जीवित व 03 मृत मादा गोवंश मिले। मौके पर वीडियोग्राफी कराई गई तथा गोवंश का मेडिकल व पी.एम.आर. कराने हेतु पशु चिकित्सक से जरिये टेलीफोन थानाधिकारी द्वारा निवेदन किया। रात्रि का समय होने पशु चिकित्सक ने पी.एम.आर. करने से मना कर दिया। रात्रि में ही ट्रक व गोवंश की मौके पर ही जप्ती की कार्यवाही कर ट्रक मय गोवंश को गढीसॉवलदास गोशाला लेकर पहुँचे जहॉ पर गोवंश को गौशाला के कर्मचारियों की मदद से बाहर निकाला। जीवित गोवंश का सुबह मेडिकल मुआयना कराया गया। मृत गोवंश का पोस्टमार्टम कराया गया। गोवंश को गढी सॉवलदास गौशाला के इंचार्ज को अस्थाई सुपुर्दगी पर दिया गया। थानाधिकारी के द्वारा जमशेद व उसके फरार साथियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया। दिनांक 05.03.2022 को अनुसंधान अधिकारी ने उसके व कॉन्स्टेबल सुमरन के समक्ष ट्रक नम्बर एच.आर. 74ए 6594 का असल रजिस्ट्रेशन जरिये फर्द जप्ती प्रदर्श पी-9 के द्वारा जप्त किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार है कि उनके पहुंचने से पहले ही ट्रक पेड से टकराया हुआ खड़ा था। उसने कोई फायरिंग नहीं देखी। ट्रक का अगला पहिया बाये तरफ से फटा हुआ था, हवा

नहीं थी। ट्रक रिम के सहारे खड़ा हुआ था। रिम पर रबड़ चढ़ी हुई थी। मौके पर कोई खाली कारतूस बरामद हुआ या नहीं उसे याद नहीं।

15- गवाह पी.ड.8 कुँवर सिंह भी परिवादी अरुण कुमार के साथ गश्त के दौरान सूचना मिलने पर मलाह पुलिया के पास पहुंचा है जिसने भी वहॉ पर एक ट्रक को पेड़ से टकरा कर खड़े हुये मिलना बताया है जिसके बायी तरफ का अगला टायर फूटे होने व उसके पास एक व्यक्ति का घायल अवस्था में पड़े हुये मिलना जिसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम जमशेद बताने का कथन किया है। थानाधिकारी पुलिस थाना सेवर द्वारा अजय हैड कॉन्स्टेबल को निर्देशित करने पर घायल गोतस्कर को इलाज हेतु हॉस्पीटल लेकर जाने की भी गवाह ने साक्ष्य दी है। प्रतिपरीक्षण के दौरान गवाह ने यह स्वीकारा है कि घायल व्यक्ति उन्हें पेड के नीचे पड़ा मिला था। उनके सामने कोई फायरिंग नहीं हुई थी। ट्रक की कोई वीडियोग्राफी उसके सामने नहीं की थी। वे तो घायल को हॉस्पीटल लेकर गये थे, उनके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई थी।

16- गवाह पी.ड.9 सुन्दर सिंह भी दौराने गश्त सूचना मिलने पर मौके पर मौजूद रहा है जिसने भी अपने बयानों में यह बताया है कि मलाह गॉव के मोड पर एक ट्रक नम्बर एच.आर.74 ए 6594 पेड से टकराया हुआ खडा मिला। जिसके बायी तरफ का अगला टायर फूटा हुआ था। ट्रक के पास एक व्यक्ति घायल अवस्था में पडा हुआ मिला था। जिसका नाम पूछने पर जमदेश बताया था। पास ही क्यू.आर.टी. टीम हैड कॉस्टेबल गजेन्द्र सिंह मय जाप्ता व थानाधिकारी सेवर भी वहॉ पर मौजूद थे। थानाधिकारी पुलिस थाना सेवर ने अजय हैड कॉस्टेबल को निर्देश दिए कि घायल गोस्तकर को इलाज हेतु हॉस्पीटल लेकर जाओ। इस पर वह और अजय हैड कॉस्टेबल व कुँवर सिंह कॉस्टेबल मय सरकारी वाहन चालक संजय सिंह के मजरूब गोतस्कर जमशेद को लेकर आर.बी.एम. हॉस्पीटल भरतपुर लेकर पहुँचे और भर्ती करवाया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान गवाह ने यह स्वीकारा है कि आहत उन्हे पेड के नीचे पडा मिला था। उनके सामने कोई फायरिंग नहीं हुई थी। ट्रक चालू हालत में नहीं था। ट्रक का मालिक कौन था उसे नहीं पता। वे तो घायल को हॉस्पीटल लेकर गये थे, उनके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई थी।

17- गवाह पी.ड.21 अजय सिंह भी दौराने गश्त कॉन्स्टेबल सुन्दर सिंह, कॉन्स्टेबल कुँवर सिंह मय असला मय जीप सरकारी चालक संजय सिंह के

साथ सूचना मिलने पर मौके पर उपस्थित आया है जिसने भी अपने बयानों में यह बताया है कि मलाह गांव के मोड पर एक ट्रक नम्बरी एचआर 74 ए 6594 पेड से टकराया हुआ खडा मिला, जिसके बायीं तरफ का अगला टायर फूटा हुआ था, उसके पास एक व्यक्ति घायल अवस्था में पडा हुआ मिला था। जिसने अपना नाम जमशेद बताया था। थानाधिकारी ने उसे निर्देश दिये कि वह घायल गौतस्कर को ईलाज हेतु अस्पताल लेकर जायें। जिस पर वह, कॉन्स्टेबल सुन्दर सिंह, कॉन्स्टेबल कुंवर सिंह मय सरकारी वाहन चालक संजय सिंह के साथ जमशेद को आरबीएम अस्पताल, भरतपुर लेकर आये और जमशेद को ईलाज हेतु भर्ती करवाया। प्रतिपरीक्षण के दौरान गवाह ने यह स्वीकारा है कि उनके द्वारा घटना की कोई विडियोग्राफी नहीं की गई थी। उनके समक्ष कोई खाली कारतूस आदि जप्त नहीं किये गये थे। जमशेद उन्हें घायल अवस्था में ट्रक के पास पडा हुआ मिला था। उसके सामने पशुओं का कोई मेडिकल नहीं हुआ था। ट्रक में कितना गौवंश था यह उसकी जानकारी में नहीं है।

18- गवाह पी.ड.12 गजेन्द्र सिंह क्यू.आर.टी. टीम संख्या चार का प्रभारी अधिकारी रहा है जिसने दौराने गश्त मुखबिर की सूचना मिलने पर सारस चौराहे पर नाकाबंदी शुरु करने और दौराने नाकाबंदी समय 12:15 ए.एम. पर ट्रक एच.आर. 74ए 6594 का नाकाबंदी को देखकर 100 मीटर पहले ही डिवाईडर को कूदकर सेवर की तरफ भागने पर पीछा करने पर ट्रक को रोकने पर उनके ऊपर जान लेवा फायरिंग करते हुए सेवर की तरफ भाग जाने का कथन किया है तथा जीतेन्द्र कॉन्स्टेबल द्वारा आत्मरक्षा हेतु एक लोंग रेंज सेल व चार इस्टन सेल हवाई फायर किये जाना बताया है तथा आगे यह कथन किया है कि थोड़ा आगे चलकर घने के सामने वाले कट से सीधी साईड में आ जाना व मलाहे पुलिया के पास उनकी सरकारी बोलेरो को उन्हें जान से मारने की नीयत से टक्कर मारने की कोशिश में असंतुलित होकर डिवाइडर से टकराकर कन्डेक्टर साईड वाला टायर फट गया और ट्रक सिरस के पेड से जा टकराया। खल्लासी भागने के चक्कर में ट्रक और पेड के बीच में आ गया और घायल हो गया तथा चालक अंधेरे का लाभ उठाते हुए मौके से फरार हो गया। जिसे काफी ढूंढने के प्रयास किया लेकिन वह नहीं मिला। खल्लासी से उन्होंने नाम पता पूछा तो खल्लासी ने अपना नाम जमशेद का होना बताया। उक्त घटना के बारे में उसने जरिए मोबाईल से उच्चाधिकारियों

को बताया। इसके बाद पुलिस थाना सेवर से अजय सिंह हैड साहब मय जाब्ता के मौके पर आये और उन्होंने अपने एचएचओ श्री अरूण सिंह को फोन से अवगत कराया जिस पर एसएचओ साहब मौके पर आये। अजय सिंह हैड साहब घायल जमशेद को आरबीएम अस्पताल उपचार हेतु ले गये। इसके बाद हम वे लोग ट्रक पर चैक करने के लिए उपर चढ़े जिसमें गौवंश भरा हुआ था और उन्होंने देखा कि ठूंस-ठूंसकर गोवंश भरा हुआ था, गौवंश के पैर व गर्दन रस्सी से बंधे हुए थे। जिसमें कुल 29 गौवंश, 08 नर व 18 मादा, तीन मरे हुए मादा गोवंश मिले। इसके बाद श्रीमान एचएचओ सेवर ने कार्यवाही की और बाद कार्यवाही हम पुलिस लाईन में आ गये थे और उन्होंने अपने असला कोत में जमा कराये और रोजनामचा में वापसी कराई। प्रतिपरीक्षण के दौरान गवाह ने यह स्वीकारा है कि खल्लासी पेड़ के नीचे पड़ा मिला था।

19- गवाह पी.ड.10 राजवीर, पी.ड.14 बनवारीलाल क्यू.आर.टी. टीम के सदस्य एवं गवाह पी.ड.13 दिलीप सिंह क्यू.आर.टी. टीम का ड्राईवर रहा है जो क्यू.आर.टी. टीम के हैड कॉन्स्टेबल गजेन्द्र सिंह के साथ घटनास्थल पर मौजूद रहे हैं जिन्होंने गजेन्द्रसिंह के कथनों के पुष्टि में ही मुख्य परीक्षण में अपनी साक्ष्य दी है तथा दिनांक 12.02.2022 को सुबह 10.15 पीएम पर मुखबिर से सूचना मिलने पर कि एक ट्रक नंबर एच.आर. 74ए 6594 जो की ऊँचा नंगला से हरियाणा की तरफ गौवंश भरा हुआ जा रहा था, सारस चौराहे पर बैरीकेटिंग लगा कर नाकाबंदी शुरु की तो दौराने नाकाबंदी 12:15 एएम पर उक्त ट्रक ऊँचा नंगला की तरफ से आ रहा था जो नाकाबंदी को देखते हुये 100 मीटर पहले से नाकाबंदी व डिवाइडर को तोड़ कर रोंग साईड होते हुये सेवर की तरफ उनके ऊपर जानलेवा फायरिंग करते हुये भाग गया। जीतेन्द्र कॉन्स्टेबल ने आत्मरक्षा हेतु एक लोंग रेंज सेल व चार ईस्टन सेल हवाई फायर किये इसके बाद उन्होंने मय जासे के ट्रक का पीछा किया जो घना के सामने वाले कट से अपनी साईड आ गया और वे उसका पीछा करते रहे। उक्त ट्रक ने सरकारी वाहन बोलेरो को टक्कर मारने की कोशिश की, उस दौरान उक्त ट्रक असंतुलित हो गया और मलाह पुल के पास अगला टायर फटने के कारण रोड़ के किनारे चला गया। खल्लासी की साईड से सिरस के पेड़ से टकरा गया। खल्लासी भागने के चक्कर में ट्रक और पेड के बीच में आ गया और घायल हो गया तथा चालक अंधेरे का लाभ उठाते हुए मौके से

फरार हो गया। खल्लासी से उन्होंने नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम जमशेद पुत्र आसू उर्फ आस मौहम्मद होना बताया। इसके बाद पुलिस थाना सेवर से अजय सिंह हैड कॉन्स्टेबल मय जाब्ता के मौके पर आये और उन्होंने अपने एचएचओ अरूण सिंह को फोन से अवगत कराया फिर वो मौके पर आये। अजय सिंह हैड कॉन्स्टेबल घायल जमेशद को आरबीएम अस्पताल उपचार हेतु ले गये। इसके बाद उन्होंने एवं हैड साहब गजेन्द्रसिंह, मय जाप्ता व एचएचओ साहब सेवर ने मौके पर चालक का तलाश किया जो कि नहीं मिला। इसके बाद वे सभी लोग ट्रक पर चैक करने के लिए उपर चढ़े जिसमें उन्होंने देखा कि ठूंस-ठूंसकर गोवंश भरा हुआ था, गौवंश के पैर व गर्दन रस्सी से बंधे हुए थे, जिसमें कुल 29 गौवंश, 08 नर व 18 मादा, तीन मरे हुए मादा गोवंश मिले। बाद कार्यवाही वे पुलिस लाईन में आ गये थे। उन्होंने असला को जमा कराकर व रोजनामचा में वापसी कराई। प्रतिपरीक्षण के दौरान गवाह पी.ड.10 राजवीर ने खल्लासी का पेड के नीचे पड़ा होना बताया है तथा ड्राईवर को भागते हुये नहीं देखने का कथन किया है। गवाह पी.ड.13 दिलीप सिंह एवं पी.ड.14 बनवारीलाल ने ट्रक का ड्राईवर कौन था के बारे में पता नहीं होना बताया है।

20- गवाह पी.ड.11 जीतेन्द्र सिंह भी क्यू.आर.टी. टीम का सदस्य रहा है जिसने उक्त गवाहान के कथनों की पुष्टि में ही अपनी साक्ष्य दी है तथा ट्रक का डिवाईडर कूदकर सेवर की ओर उनके ऊपर जानलेवा फायरिकंग करते हुये भागने पर गवाह ने आत्मरक्षा हेतु एक लोंग रेंज सेल व चार इस्टन सेल हवाई फायर करना बताया है। उक्त गवाह ने भी खल्लासी का पेड के नीचे पड़े हुये मिलना व स्वयं द्वारा ट्रक को रोकने के लिये फायरिंग करने भी कथन किया है।

21- गवाह पी.ड.17 ओमवीर तत्कालीन कॉन्स्टेबल रिर्जव पुलिस लाईन, भरतपुर नाकाबंदी का गवाह है जिसने कानून व्यवस्था में गश्त के लिये रवाना होने के दौरान गाय की गाड़ी आने की सूचना मिलने पर सारस चौराहे पर नाकाबंदी करने की साक्ष्य दी है। उक्त गवाह ने यह बताया है कि नाकाबंदी को देखकर ट्रक संख्या एच.आर.74 ए 6594, सौ कदम पहले रुक गया व पुलिस को देखते हुए उसने रोंग साईड में डिवाइडर क्रॉस किया। इसके बाद गाड़ी को मलाह की पुल की तरफ भगाया। उसको काफी रोकने की कोशिश की तो ट्रक सारस चौराहे पर बेरीकेटिंग तोडते हुए फायरिंग करते

हुए निकल गया। उसका पीछा किया गया। कॉन्स्टेबल जीतेन्द्र ने एक लॉग रेंज सेल्फ, चार ईस्टन सेल फायर किये। घना गेट पर ट्रक वाले ने साईड चेंज कर दी और सीधा मलाह की तरफ भागा। उनकी सरकारी गाडी आरजे 14 यूई 3867 में ट्रक ने टक्कर मारने की कोशिश की व फायरिंग की। मलाह की पुलिया के पास पहुंचने पर ट्रक डिवाईडर से टकरा गया, जिससे ट्रक का दायीं तरफ का आगे का टायर फट गया। ट्रक अनियंत्रित होकर नीचे चला गया। ड्राईवर ट्रक को छोडकर भाग गया। ड्राईवर के दूसरे साथी ने गाडी से उतरने की कोशिश की तो गाडी और एक पेड के बीच में टकराकर गिर गया, और मौके पर ही पकड लिया। ट्रक में 8 नर, 18 मादा, 3 मृतक कुल 29 गौवंश थाना सेवर को हैड कॉन्स्टेबल अजय व थानाधिकारी अरूण सिंह को सुपुर्द कर दिया। प्रतिपरीक्षण के दौरान गवाह का यह कथन रहा है कि ट्रक के चालक का चेहरा नहीं देखा था। ट्रक टायर फटने के कारण चालू हालत में नहीं था। उसने ड्राईवर को नहीं देखा क्योंकि वह मौके से भाग गया था। मौके से खाली कारतूस बरामद नहीं हुए थे। किसी के चोट नहीं आई थी।

22- गवाह पी.ड.16 नारायण सिंह एवं पी.ड.22 ललित कुमार अभियुक्त जमशेद की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.14 के गवाहान रहे हैं जिन्होंने उस पर अपने हस्ताक्षर होने की साक्ष्य दी है।

23- गवाह पी.ड.17 अब्दुल कय्यूम प्रकरण में जब्तशुदा ट्रक नंबर एच.आर.74ए 6594 का पंजीकृत स्वामी है जिसने भाईयों में बंटवारा होने के कारण अपना ट्रक भाई साजिद को बेच देने की साक्ष्य दी है और ट्रक फाइनेंस पर होने के कारण साजिद के नाम नहीं हो सकना बताया है तथा ट्रक को साजिद द्वारा भाड़े पर सद्दाम को दे देना तथा सद्दाम द्वारा ही ट्रक को भाड़े पर चलाने की जानकारी बाद में होना बताया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त गवाह ने अपने उक्त ट्रक को बेच देना व साजिद द्वारा सद्दाम को भाड़े पर देना व सद्दाम द्वारा ही उसे भाड़े पर चलाना बताया है।

24- गवाह पी.ड.18 सुमरनसिंह प्रकरण में ट्रक का असल रजिस्ट्रेशन जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी.9 स्वयं के समक्ष जब्त करना बताता है जिस पर अपने हस्ताक्षर होने का भी कथन किया है।

25- गवाह पी.ड.20 रुपसिंह प्रकरण में जब्तशुदा ट्रक जिसमें कुल 29 गौवंश जिनमें 18 मादा जिन्दा, 8 नर जिन्दा व 3 मृत मादा गौवंश को जमा मालखाना कराने के बाद गौवंश को गौशाला में भिजवाने की साक्ष्य देता है।

गवाह ने उक्त माल का इन्द्राज मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी-27 की मद संख्या 26 पर करना बताया है तथा मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-27ए पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान मालखाना रजिस्टर में गौवंश का इन्द्राज मुताबिक फर्द जब्ती के करने का भी गवाह ने कथन किया है।

26- गवाह पी.ड.23 बाबूलाल गढी सांवलदास गौशाला में देखभाल व लिखापढ़ी का कार्य करता है जिसने दिनांक 13.02.2022 को सुबह करीब आठ नौ बजे पुलिस थाना सेवर के पुलिस वालों द्वारा एक ट्रक में गौवंश भरकर लाकर गौशाला में छोड़े जाने जिनमें से 26 गौवंश जिन्दा व 3 मृत होने सभी गौवंश का डॉक्टर द्वारा मेडिकल मुआयना करने व मृत गौवंशों का दांह संस्कार करने की साक्ष्य दी है। गौवंश की उनके गौशाला के महन्त शिशुपाल के द्वारा रसीद प्रदर्श पी.2 देना भी बताया है। पुलिस द्वारा उक्त गौवंश को गौशाला में अस्थाई सुपुर्दगी में जरिये फर्द प्रदर्श पी.7 देने जिस पर महन्त शिशुपाल के हस्ताक्षर होने जिन्हें उनके साथ रहने के कारण पहचानना गवाह ने बताया है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने यह कथन किया है कि गौवंश कैसे व कहां मरा यह उसकी जानकारी में नहीं है।

27- गवाह पी.ड.15 डॉ.शैलेष कुमार गर्ग के द्वारा प्रकरण में जब्तशुदा गौवंश का गौशाला गढी सांवलदास में चिकित्सीय परीक्षण किया गया है जिसने तीन मृत गौवंश का पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट प्रदर्श पी.11 लगायत प्रदर्श पी.13 पर अपने हस्ताक्षर व राय होना बताया है उसकी राय के अनुसार उक्त तीनों गौवंशों की मृत्यु दम घुटने के कारण होने का कथन किया है तथा 26 जीवित गौवंश में से 17 जीवित गौवंश चोटग्रस्त होने जिनके स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट प्रदर्श पी.10 को गवाह ने प्रदर्शित कराया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान गवाह ने यह बताया है कि मृतक गौवंश के ऐसे गले पर कोई निशान नहीं थे, कि गला ही दबाया गया हो। पशुओं के आपस में लड़ने के कारण भी इस प्रकार की चोटें आ सकती है व पशुओं के आपस में लड़ने से उनकी मृत्यु होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उसके पास गौवंश पुलिस की अभिरक्षा से आया था।

28- गवाह पी.ड.19 डॉ.दिगम्बर सिंह के द्वारा अभियुक्त जमशेद के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया गया है उसके कुल आठ चोटें होना बताया है तथा संबंधित एक्सरे प्लेट्स का परीक्षण करने पर बायी जांघ जांघ

की फीमर हड्डी के बीच वाले हिस्से का एवं दाहिने जांघ की फीमर हड्डी का घुटने के पास वाले हिस्से का अस्थिभंग (फ्रेक्चर) होने से चोट संख्या 1 व 3 गंभीर प्रकृति की व अन्य सभी चोटें साधारण प्रकृति की कुन्द हथियार से कारित होना बताते हुये अभियुक्त के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-15 व एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-16 तथा एक्सरे प्लेट्स क्रमशः प्रदर्श पी-17 लगायत प्रदर्श पी-26 पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया है।

29- गवाह पी.ड.24 दरब सिंह प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी रहा है जिसने प्रकरण में अनुसंधान करने तथा आरोप पत्र प्रदर्श पी-5 न्यायालय में प्रस्तुत के संबंध में विस्तृत कथन अपने मुख्य परीक्षण में करते हुए संबंधित दस्तावेजात को प्रदर्शित कराया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त गवाह ने इस तथ्य को स्वीकारा है कि वक्त घटना वह मौके पर नहीं था। उसने मौके पर कोई गौवंश नहीं देखा। ट्रक चालू हालत में नहीं था उसका टायर फटा हुआ था। गवाह ने स्वयं कहा कि स्टेपनी चेंज करके गौवंश जमा कराने गये थे।

30- अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त समस्त साक्ष्य की मिश्रित रुप से विवेचना की जावे तो प्रकरण के महत्वपूर्ण तारांकित गवाहान पी.ड.12 गजेन्द्रसिंह, पी.ड.10 राजवीर, पी.ड.11 जितेन्द्र सिंह, पी.ड.14 बनवारीलाल तत्कालीन क्यू.आर.टी. टीम के सदस्य रहे हैं तथा गवाह पी.ड.13 दिलीप सिंह क्यू.आर.टी. टीम के सरकारी वाहन का चालक रहा है। उक्त सभी गवाहान ने तथा नाकाबंदी के गवाह पी.ड.17 ओमवीर ने एक स्वर में प्रकरण में जब्तशुदा ट्रक में गौवंश की सूचना मिलने पर हाईवे पर नाकाबंदी करने के दौरान जब्तशुदा ट्रक को नाकाबंदी से 100 मीटर पूर्व ही डिवाइडर को कूदाकर सेवर की तरफ भागने के दौरान क्यू.आर.टी. टीम द्वारा पीछा करने पर ट्रक में से क्यू.आर.टी. टीम पर जानलेवा फायरिंग करते हुये सेवर की तरफ भागने की साक्ष्य दी है तथा क्यू.आर.टी. टीम के सदस्य जितेन्द्र सिंह द्वारा आत्मरक्षा में हवाई फायर करना बताया है और आगे चल कर घने के सामने वाले कट से सीधी साईड में आकर मलाह पुलिया के पास सरकारी बोलेरो को उन्हें जान से मारने की नीयत से टक्कर मारने की कोशिश में ट्रक का असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा कर खल्लासी साईड वाला टायर फट जाना व ट्रक का सिरस के पेड़ से टकराने व खल्लासी के भागने के चक्कर में ट्रक व पेड के बीच में फंसकर घायल हो जाने तथा चालक का अंधेरे का फायदा उठाते हुये मौके से फरार हो जाने की साक्ष्य दी है। इस संबंध में यहाँ

यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये पुलिस जाप्ता के गवाहान पी.ड.1 विजय कुमार, पी.ड.3 अमीर चंद, पी.ड.4 योगेश कुमार, पी.ड.5 राधाकिशन, पी.ड.6 सुरेश, पी.ड.7 आतेन्द्र सिंह, पी.ड.8 कुँवर सिंह व पी.ड.9 सुन्दर सिंह तथा थानाधिकारी पी.ड.2 अरुण ने जो क्यू.आर.टी. टीम द्वारा सूचना देने पर मौके पर पहुंचे हैं ने मौके पर दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को व अभियुक्त जमशेद को घायल अवस्था में मौके पड़े देखना व ट्रक में कुल 29 गौवंश का ठूंस-ठूंस कर भरे होना जिनमें 8 नर व 18 मादा व 3 मृत गौवंश होने के तथ्य को बखूबी प्रमाणित किया है। यद्यपि उपरोक्त गवाह ट्रक की ओर से क्यू.आर.टी. टीम के ऊपर हत्या के प्रयत्न में अवैध कट्टे से हवाई फायर करने के प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण नहीं रहे हैं, न ही उक्त गवाहान, क्यू.आर.टी.टीम के हैड कॉन्स्टेबल गजेन्द्र सिंह, कॉन्स्टेबल जितेन्द्र सिंह, बनवारीलाल, ओमवीर सिंह, राजवीर व जीप चालक दिलीप सिंह के लोक सेवक के रुप में नाकाबंदी करने के दौरान मुलजिम व सह अभियुक्त द्वारा उनको कर्त्तव्य से भयोपरत करने हेतु हमला व आपराधिक बल का प्रयोग करने के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि घटनास्थल से किसी भी प्रकार की चली हुई गोली के अवशेष/खाली कारतूस आदि को जब्त नहीं किया गया है, न ही किसी राजकीय वाहन में अभियुक्तगण की ओर से किए गए फायर से कोई क्षति कारित हुई हो बाबत कोई संपुष्टिकारक साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में ट्रक चालक का मौके से भाग जाना बताया गया है तथा मौके पर पाये गये सह अभियुक्त जमशेद एवं उसके ट्रक से भी किसी प्रकार के कोई कट्टा या कारतूस आदि की कोई बरामदगी नहीं की गई है। क्यू.आर.टी. टीम के किसी भी सदस्य अथवा पुलिस जाप्ता के किसी भी सदस्य के किसी भी प्रकार की कोई साधारण अथवा गम्भीर चोटें आना भी पत्रावली के अवलोकन से प्रकट नहीं होता है, न ही किसी भी पुलिसकर्मी अथवा क्यू.आर.टी. टीम के सदस्य ने ऐसी कोई साक्ष्य दी है कि अभियुक्तगण द्वारा किए गए हमला अथवा आपराधिक बल से उनके किसी प्रकार की चोट आई हो व उनके द्वारा लोक सेवक के रुप में किए जा रहे अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में वे भयोपरत हो गये हो तथा वे अपने कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाये हों। ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्त जमशेद के विरुद्व लोक सेवक को अपने कर्त्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने हेतु जान से मारने की नीयत से अवैध कट्टे से

एक राउण्ड हवाई फायर कर उन पर हमला व आपराधिक बल का प्रयोग करने व हत्या का प्रयत्न करने संबंधित धारा 353, 307 विकल्प में धारा 307/34 भा.दं.सं. का आरोप अभियोजन पक्ष संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतया असफल रहा है।

31- उपरोक्त के अतिरिक्त अभियुक्त जमशेद के विरुद्व राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम, 1995 की धारा 3/8 का आरोप भी लगाया गया है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष को इस बिन्दु को संदेह से परे प्रमाणित करना था कि अभियुक्त के द्वारा साशय गौवंशीय वध कारित किया गया। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि प्रकरण में जब्तशुदा ट्रक में कुल 29 गौवंश जिनमें 08 नर व 18 मादा जीवित तथा 03 मृत मादा गौवंश पाये गये हैं। इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से चिकित्साधिकारी गवाह पी.ड.15 डॉ.शैलेष कुमार गर्ग ने मृतक मादा गौवंश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रमशः प्रदर्श पी.11 लगायत प्रदर्श पी.13 को प्रदर्शित कराते हुये यह बताया है कि उक्त तीनों मृतक गौवंशों की मृत्यु दम घुटने के कारण हुई थी। हस्तगत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट व प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है न ही किसी साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त जमशेद के द्वारा मृतक गौवंशों का वध करने के आशय से चोटें पहुंचाकर साशय गौवंशों का वध कारित किया गया हो। चिकित्साधिकारी ने अपनी साक्ष्य में यह भी बताया है कि मृतक गौवंश के गले पर ऐसे कोई निशान नहीं थे कि केवल गला ही दबाया गया हो। पशुओं के आपस में लड़ने के कारण भी इस प्रकार की चोटें आ सकती है व चिकित्साधिकारी ने आपस में उनके लडने से मृत्यु होने की संभावना से इंकार नहीं किया है। ऐसी परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष अभियुक्त जमशेद के विरुद्व धारा 3/8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम, 1995 का अपराध भी संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

32- प्रकरण में अभियुक्त जमशेद के विरुद्व धारा 5/8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम, 1995 का आरोप भी लगाया गया है। इस सन्दर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि प्रकरण में जब्तशुदा

ट्रक में कुल 29 गौवंश को भर कर ले जाया जा रहा था जिसका क्यू.आर.टी. टीम द्वारा पीछा करने पर ट्रक को गलत दिशा में ले जाया गया व डिवाइडर के ऊपर चढ़ाने से ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया तथा चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया जबकि खल्लासी जमशेद ट्रक व पेड के बीच में फंस जाने व घायल होने से भाग नहीं सका तथा उसे मौके से ही ईलाज के लिये ले जाया गया जिसे दौराने ईलाज गिरफ्तार किया गया है। उक्त तथ्य की पुष्टि आहत जमशेद का मेडिकल मुआयना करने वाले चिकित्साधिकारी पी.ड.15 डॉ.शैलेष कुमार गर्ग की मौखिक व दस्तावेजी चिकित्सीय साक्ष्य से बखूबी हुई है। पत्रावली में प्रस्तुत नक्शा मौका प्रदर्श पी.6 का अवलोकन करने से ट्रक एक्स स्थान पर बरामद होना बताया गया है तथा बरामदगी होने से पूर्व सारस चौराहे के पास नाकाबंदी किए जाने का तथ्य अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत क्यू.आर.टी. टीम के सदस्यगण व संबंधित पुलिस जाप्ते के गवाहान ने दर्शित किया है। सारस चौराहा तथा जिस स्थान से वाहन को बरामद किया गया वह राष्ट्रीय राजमार्ग होना दर्शित होता है तथा उक्त सभी गवाहान ने ट्रक में भरे हुये गौवंशों की ऊँचा नंगला की तरफ से भरतपुर की तरफ आ रहे होने की सूचना मिलना भी बताया है। इस संबंध में राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम, 1995 के अपराधों के संबंध में उपरोक्त अधिनियम की धारा 11 में यह प्रावधान दिया गया है कि इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध को साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा कि उसने उपरोक्त अधिनियम के तहत दिए गए उपबंधों के अधीन आरोपित अपराध कारित नहीं किया है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत समस्त साक्ष्य से यह बखूबी दर्शित हुआ है कि अभियुक्त जमशेद का मौके से ही ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने के पश्चात् ट्रक व पेड के बीच में फंस कर घायल होने के कारण पुलिस अधिकारियों द्वारा अस्पताल ईलाज हेतु ले जाया गया और ईलाज के दौरान ही अभियुक्त जमशेद को गिरफ्तार किया गया है। यह सही है कि ट्रक के चालक का अंधेरा का फायदा उठाकर भाग जाना बताया है किन्तु अभियुक्त जमशेद के द्वारा कुल 29 गौवंशों को अर्थात् इतनी अधिक संख्या में गौवंशों के परिवहन करने के संबंध में किसी प्रकार की कोई अनुज्ञप्ति/रवन्ना आदि भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष की साक्ष्य के खण्डन में किसी प्रकार की कोई ठोस व सुदृढ़

खण्डनात्मक साक्ष्य ही प्रस्तुत की है। अभियुक्त पक्ष की ओर से आवारा गौवंश को दिखाकर झूठा केस बनाने के संबंध में गवाहान से सुझावात्मक प्रश्न किया गया है किन्तु पुलिसकर्मियों की अभियुक्त जमशेद से क्या दुश्मनी रही जिसके कारण उसे झूठा फसाया गया के संबंध में भी अभियुक्त की ओर से कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्वयं अभियुक्त जमशेद ने बयान मुलजिम के दौरान गवाहान द्वारा गलत बयान देना व झूठा फंसाना बताया है परन्तु स्वयं अभियुक्त जमशेद भी अभियोजन पक्ष की साक्ष्य के खण्डन में बतौर बचाव साक्षी न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्यों को सशपथ कहने हेतु तथा ट्रक उसके कब्जे अधीन नहीं रहा हो प्रमाणित करने हेतु प्रस्तुत ही नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्त जमशेद के द्वारा राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम, 1995 के तहत ही धारा 05 का अपराध कारित नहीं करने के संबंध में कोई खण्डनात्मक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से धारा 11 के तहत अभियुक्त पर विधि द्वारा डाले गये सबूत के भार को प्रमाणित नहीं किया गया है। अतः उक्त समस्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त जमशेद के कब्जेशुदा जब्तशुदा ट्रक में से कुल 29 गौवंश को गौकशी के लिये राज्य के बाहर वध किया जाना संभाव्य जानते हुये निर्यात करने के आशय से ले जाया जाना जिसका उसके पास कोई वैध परमिट नहीं था बाबत् धारा 5/8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध निर्यात का विनियम) अधिनियम का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है।

33- अभियुक्त जमशेद के विरुद्व धारा 10 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध निर्यात का विनियम) अधिनियम का आरोप भी लगाया गया है जिसके संबंध में अभियोजन पक्ष को इस तथ्य को प्रमाणित करना था कि अभियुक्त जमशेद के द्वारा साशय गौवंश को गम्भीर उपहतियां कारित की गईं थीं। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि पत्रावली में जब्तशुदा ट्रक से 29 गौवंश में से जिन्दा 26 गौवंशों का मेडिकल मुआयना करने वाले चिकित्साधिकारी गवाह पी.ड.15 डॉ.शैलेष कुमार गर्ग की साक्ष्य के अनुसार कुल 17 जीवित गौवंश का चोट ग्रस्त होना बताया गया है। उपरोक्त चिकित्साधिकारी ने ऐसी कोई साक्ष्य नहीं दी है कि किसी भी गौवंश के कोई गम्भीर उपहति कारित हुई हो। किसी भी गौवंश की कोई एक्सरे रिपोर्ट भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे कि गौवंश के गम्भीर उपहति होने का

तथ्य प्रमाणित हो पाता इस प्रकार चिकित्साधिकारी डॉ.शैलेष कुमार गर्ग की मौखिक साक्ष्य एवं गौवंश की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी.10 के अनुसार कुल 29 गौवंशों में से 17 जीवित गौवंशों को अत्यधिक मात्रा में ठूंसकर भरे होने के कारण उपहति होने का तथ्य बखूबी प्रमाणित होता है। अतः गौवंश अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर धारा 09 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम, 1995 का आरोप अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से अभियुक्त जमशेद के विरुद्व संदेह से परे प्रमाणित होता है।

34- प्रकरण में अन्य अभियुक्त साजिद के विरुद्व धारा 6/8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम, 1995 का आरोप लगाया गया है इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि प्रकरण में जब्तशुदा ट्रक एच.आर.74 ए 6594 जिसमें कुल 29 गौवंश का भर कर परिवहन किया जा रहा था का पंजीकृत स्वामी गवाह पी.ड.17 अब्दुल कय्यूम होना पत्रावली में संलग्न फर्द जब्ती प्रदर्श पी.9 असल रजिस्ट्रेशन की फर्द जब्ती व आर्टिकल-1 आर.सी. के आधार पर तथा प्रदर्श पी.29 मुख्त्यारनामा जो अभियुक्त साजिद के नाम जारी किया गया के आधार पर प्रमाणित होता है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त साजिद को धारा 133 मोटरयान अधिनियम का नोटिस प्रदर्श पी.28 जारी किया गया है जिसने ट्रक पर वक्त घटना चालक सद्दाम का होने का जवाब बतौर वाहन स्वामी प्रस्तुत किया है तथा मुख्त्यारनामा के अनुसार वाहन के परिवहन के संबंध में जारी करने बाबत् तथ्यों पर हस्ताक्षर करके स्वीकृति प्रदान की है जिसके साथ साजिद का हलफनामा भी संलग्न है। यद्यपि गवाह पी.ड.17 अब्दुल कय्यूम ने साजिद द्वारा वाहन भाड़े पर सद्दाम को देना व सद्दाम द्वारा संचालन करना बताया है किन्तु इस संबंध में अभियुक्त पक्ष की ओर से किसी प्रकार की कोई ठोस व सम्पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, न ही अपने बयान मुलजिम के दौरान ऐसा कोई विशेष जवाब ही अभियुक्त साजिद द्वारा प्रस्तुत किया गया है न ही वाहन के परिवहन का कोई दायित्व उसके ऊपर नहीं रहा हो ऐसा कोई कथन उसने किया है। ऐसी परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष अभियुक्त साजिद के विरुद्व प्रकरण में जब्तशुदा वाहन का परिवाहक होने के नाते वाहन में 29 गौवंश यह जानते हुए कि उन्हें गौकशी के लिये राज्य के बाहर परिवहन

किया जा रहा है के अपराध का दुष्प्रेरण का धारा 6/8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम, 1995 अपराध कारित करना भी संदेह से परे प्रमाणित करने में अभियोजन पक्ष पूर्णतः सफल रहा है।

35- अतः उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार अभियुक्त जमशेद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353, 307 विकल्प में 307/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम, 1995 के आरोप में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किए जाने योग्य पाया जाता है। साथ ही उक्त अभियुक्त जमशेद राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम, 1995 धारा 5/8 व धारा 9 व अभियुक्त साजिद राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम, 1995 धारा 6/8 के अपराध के लिए दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

:- आ दे श -:

36- परिणामतः अभियुक्त जमशेद पुत्र आसू उर्फ आस मोहम्मद, निवासी हुसैनपुर, थाना नूंह, जिला नूंह मेवात (हरियाणा) को अपराध अन्तर्गत धारा 353, 307 विकल्प में धारा 307/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम, 1995 के अपराध के लिये संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। साथ ही अभियुक्त जमशेद को धारा 5/8, व धारा 9 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम, 1995 तथा अभियुक्त साजिद पुत्र दीन मोहम्मद, निवासी हिरमथला, पुलिस थाना रोजका मेव, तहसील व जिला नूंह मेवात (हरियाणा) को अपराध अन्तर्गत धारा 6/8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम, 1995 के अपराध के लिए दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण को सजा के बिन्दु पर पृथक से सुना जाएगा।

(रेखा वधवा)
अपर सेशन न्यायाधीश
संख्या-03, भरतपुर

<u>सजा के बिन्दु पर सुना गयाः-</u>

37- विद्वान् अभिभाषक बचाव पक्ष ने सजा के बिन्दु पर बहस करते हुए तर्क दिया है कि अभियुक्तगण लगातार वर्ष 2022 से अन्वीक्षा की पीड़ा भोग रहे हैं। उनका कोई पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को दण्ड के बिन्दु पर तरलता बरतने का निवेदन किया।

38- दूसरी तरफ विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए अभियुक्तगण को कठोर दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

39- उभय-पक्षों के तर्को के प्रकाश में पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया, जिससे यह प्रकट होता है कि अभियुक्त जमशेद पर बिना अनुज्ञप्ति व परमिट के भारी मात्रा में गौवंश को गौकशी हेतु ठूंस ठूंस कर निर्दयतापूर्वक भरकर ले जाने व उनके साशय उपहति कारित किए जाने का व अभियुक्त साजिद के विरुद्व यह जानकारी रखते हुए कि गौवंश का गौकसी के लिए उसके वाहन में परिवहन किया जा रहा है अर्थात् वाहन के परिवाहक होते हुए उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का अपराध कारित किए जाने का गम्भीर आरोप बखूबी प्रमाणित पाया गया है। अतः उन्हें परिवीक्षा का लाभ न देकर न्याय की पूर्ति हेतु अभियुक्तगण को निम्न प्रकार उचित दंड से दंडित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>-: दण्डादेशः-</u>

40- परिणामतः अभियुक्त जमशेद को धारा 5/8, व धारा 9 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम, 1995 के अपराध के लिए दोषसिद्व घोषित कर निम्न प्रकार दण्डित किया जाता हैः-

क्रम संख्या	धारा	सजा	अर्थदण्ड	अदम अदायगी अर्थदण्ड
01	5/8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात)	03 (तीन) वर्ष के साधारण कारावास	पॉच हजार रुपये के अर्थदण्ड	एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास

	अधिनियम, 1995			
02.	9 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम, 1995	02 (दो) वर्ष के साधारण कारावास	तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड	एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास

41- इसी प्रकार अभियुक्त साजिद पुत्र दीन मोहम्मद, निवासी हिरमथला, पुलिस थाना रोजका मेव, तहसील व जिला नूंह मेवात (हरियाणा) को अपराध अन्तर्गत धारा 6/8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम, 1995 के अपराध के लिए दोषसिद्व घोषित कर निम्न प्रकार दण्डित किया जाता हैः-

क्रम संख्या	धारा	सजा	अर्थदण्ड	अदम अदायगी अर्थदण्ड
01	6/8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम, 1995	03 (तीन) वर्ष के साधारण कारावास	पाँच हजार रुपये के अर्थदण्ड	एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास

42- कारावास की सभी मूल सजाऐं साथ साथ चलेंगी। अभियुक्तगण का सजा वारण्ट नियमानुसार तैयार किया जावे, अभियुक्तगण द्वारा पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि को धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार मूल सजा में समायोजित किया जावे। अभियुक्तगण के पूर्व में नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

43- धारा 363 द०प्र०सं० के प्रावधानानुसार अभियुक्तगण को निर्णय की प्रति निशुल्क दी जावे।

44- हस्तगत प्रकरण की **अभियुक्त सद्दाम** मफरुर है, जिसकी मफरुरी बाबत पत्रावली के सरबरक पर लालस्याही से यह नोट अंकित किया जावे, पत्रावली को सुरक्षित रखा जावे। पत्रावली का कोई भी भाग जाया या नष्ट नहीं किया जावे तथा

समय-समय पर उक्त अभियुक्त के जारीशुदा स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट की प्रगति रिपोर्ट मंगवाई जावे।

45- हस्तगत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में पीडित प्रतिकर स्कीम के तहत प्रतिकर हेतु अनुशंसा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

(रेखा वधवा)
अपर सेशन न्यायाधीश
संख्या-03, भरतपुर

46- निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(रेखा वधवा)
अपर सेशन न्यायाधीश
संख्या-03,भरतपुर